HRA Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸੰ. 145]

145

No.

नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 2010/ज्येष्ठ 5, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 2010/JYAISTHA 5, 1932

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2010

सं. एल-7/165(180)/2008-केंविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन तथा शतें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल विनियम'' कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) (संशोधन) विनियम, 2010 है।
 - (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. विनियम 13 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - ''13. अनुज़प्ति की अवधि.—(1) पारेषण अनुज्ञप्ति, जब तक अन्यथा पहले प्रतिसंहत न की जाए, जारी करने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।
- (2) यदि ऐसी पारेषण आस्ति, जिसके लिए पारेषण अनुज्ञाप्त जारी की गई है, का उपयोगी जीवनकाल 25 वर्ष की अविध के बाद विस्तारित किया जाता है तो आयोग एक और अविध के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के प्रत्येक मामले पर गुणावगुण आधार पर विचार कर सकेगा जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की आरंभिक अविध की समाप्ति के दो वर्ष पूर्व विनियम 7 के अनुसार आवेदन कर सकेगा:

परंतु यह कि जब अनुज्ञानिधारी 25 वर्ष की आरंभिक अवधि के बाद अनुज्ञानि प्रदान करने के लिए आवेदन नहीं करता है तो आयोग उपभोक्ता या जनता के हित को संरक्षित करने के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगा या ऐसी स्कीमें बना सकेगा जो वह पारेषण आस्तियों के प्रचालन के लिए उसके उपयोगी जीवनकाल के शेष भाग के लिए आवश्यक समझे।

- (3) जहां पारेषण आस्तियों के टैरिफ का अवधारण अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा किया गया है वहां 25 वर्ष की अविध के बाद ऐसी आस्तियों के टैरिफ का अवधारण उस समय लागू टैरिफ विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (4) जहां इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को अधिनियम की धारा 63 के अधीन प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर परियोजना के लिए प्रस्ताव का अनुरोध किया गया हो या परियोजनाएं दी गई हों, वहां अनुर्साप्त को आर्रोभक अवधि के बाद ऐसी पारेषण आस्तियों के टैरिफ का अवधारण निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा:
- (i) रिटर्न ऑन इंक्विटी की संगणना के लिए, इंक्विटी आधार आयोग द्वारा प्रज्ञावान जांच के अधीन रहते हुए, कुल ब्लॉक के 30% या 25 वर्ष की समाप्ति पर तुलनपत्र के अनुसार परियोजना में निवेशित वास्तविक इंक्विटी, जो भी कम हो, पर होगा;
- (ii) अन्य वित्तीय तथा तकनीकी संनियम, अर्थात् रिटर्न ऑन ईक्विटी, ऋण पर ब्याज, ओ एंड एम खर्चे, कार्यकरण पूंजी पर ब्याज, लक्ष्य उपलब्धता, प्रोत्साहन आदि पर उस अवधि, जिसमें अनुज्ञप्ति की आरोंभक अवधि समाप्त हो रही हो, के दौरान अभिभावी टैरिफ के संनियमों के आधार पर विचार किया जाएगा।
- (5) प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से विकसित किए जाने वाले सभी भावी परियोजनाओं के लिए, बोलीकर्ताओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 35 वर्ष तक टैरिफ को कोट किया जाना अपेक्षित होगा जिस पर बोली मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा:

2011 GI/2010

परंतु यह कि यदि एक और अवधि के अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है तो 35 वर्ष तक विस्तारित अवधि के लिए टैरिफ बोली पर कोट की गई दर के आधार पर संदेय होगा तथा आयोग द्वारा प्रचालन के संबंधित वर्ष के लिए अंगीकार किया जाएगा।

(6) यदि इस विनियम के खंड (4) तथा (5) में आने वाले पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की आरंभिक अवधि के पश्चात् पारेषण प्रणाली का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण आरंभ करने का विनिश्चय करता है तो वह नई अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ नवीकरणीय तथा आधुनिकीकरण की लागत के अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा जिस पर आयोग द्वारा अभिभावी संनियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।"

आलोक कुमार, सचिव [विज्ञापन III/4/150/2010-असा.]

टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या 94 के भाग III, खंड IV में 26 मई, 2009 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2010

No. L-7/165(180)/2008-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulation, 2009, hereinafter referred to as "the principal regulations", namely:

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) (Amendment) Regulations, 2010.
- (2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of Regulation 13.—Regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as under, namely:—
- "13. Term of Licence.—(1) The transmission licence shall, unless revoked earlier, continue to be in force for a period of 25 years from the date of issue.
- (2) If the useful life of the transmission asset for which transmission licence has been issued extends beyond the period of 25 years, the Commission may consider on merit of each case to grant licence for another term for which the licensee may make an application in accordance with Regulation 7 two years before the expiry of the initial period of licence.

Provided that when the licensee does not make an application for grant of licence beyond the initial period of 25 years, the Commission may, to protect the interest of the consumers or in public interest, issue such directions or formulate such schemes as it may deem necessary for operation of the transmission assets for the remaining part of its useful life.

- (3) Where the tariff of the transmission assets has been determined by the Commission under Section 62 of the Act, the tariff of such assets beyond the period of 25 years shall be determined in accordance with the tariff regulations applicable at that point of time.
- (4) Where the Request for Proposal (RFPs) for the projects have been issued or the projects have been awarded on the basis of competitive bidding under Section 63 of the Act on the date of notification of these regulations, the tariff of such transmission assets beyond the initial period of licence shall be determined in accordance with the following guidelines:
- (i) Eor computation of Return on Equity, equity base shall be 30% of the Gross Block or the actual equity invested in the project as per balance sheet as at the end of 25th year whichever is lower, subject to prudence check by the Commission;
- (ii) Other financial and technical norms i.e. Return on Equity, Interest on Loan, O & M Expenses, Interest on working capital, target availability, incentive etc. shall be considered on the basis of norms of tariff prevalent during the period in which the initial period of licence is due to expire.
- (5) For all future projects to be developed through competitive bidding, the bidders shall be required to quote the tariff up to 35th year from date of commercial operation which shall be considered for bid evaluation:

Provided that in case the licence is granted for another term, the tariff for the extended period up to 35th year shall be payable on the basis of the rate quoted at the bidding and adopted by the Commission for the respective year of operation.

(6) In case the transmission licensee covered under clauses (4) and (5) of this regulation decides to undertake renovation and modernization of the transmission system after the initial period of licence, it shall make an application for approval of the cost of renovation and modernization along with the application for grant of fresh licence, which shall be considered by the Commission in accordance with the prevalent norms,"

ALOK KUMAR, Secy. [ADVT III/4/150/2010-Exty.]

Note: The principal regulations were published on 26th May, 2009 Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary No. 94.